UPJS010031822026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- **कमलेश कच्छल, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** JO Code No- UP1881

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 1026/ 2026 (CNR No. UPJS01- 003182- 2026)

श्रीमती मुस्कान उम्र करीब 30 वर्ष पत्नी मसारिक बेग, निवासी- मकान सं०- 175 बिहारीपुरा, थाना- प्रेमनगर, जिला- झाँसी।

- - - - - आवेदिका/ अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **- - - - - - - - - - अभियोजक**

मु०अ०सं०- 71/ 2026

धारा- 103(1) ,61(2) (a) भारतीय न्याय संहिता,

थाना- प्रेमनगर, जिला- झाँसी।

दिनाँक- 15. 06. 2026

1- प्रश्नगत **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र, आवेदिका/ अभियुक्ता **श्रीमती मुस्कान** पत्नी मसारिक बेग उपरोक्त की ओर से मु०अ०सं०- 71/ 2026 अन्तर्गत धारा- 103(1) ,61(2) (a) भारतीय न्याय संहिता, थाना- प्रेमनगर, जिला- झाँसी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वह जिला कारागार में निरूद्ध है।

2- जमानत आवेदन के साथ शपथकर्ती श्रीमती सायदा बेगम पत्नी रहमत अली का शपथ पत्र 4B दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार वह अभियुक्ता की नानी व मामले में पैरोकार है। अभियुक्ता का प्रथम जमानत आवेदन बल न दिये जाने के आधार पर दि०- 14. 05. 2026 को निरस्त हो चुका है, यह द्वितीय जमानत आवेदन है, इसके पूर्व कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है, न ही निरस्त या लम्बित है।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मु०सलीम द्वारा दिनाँक- 19. 02. 2026 को थाना- प्रेमनगर, झाँसी पर इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई कि- *"दिनाँक- 10. 02. 2026 को दिन में प्रार्थी का सगा भान्जा तारिक बेग पुत्र स्व० अकील बेग उम्र करीब 38 वर्ष निवासी- बिहारीपुरा, थाना- प्रेमनगर, झाँसी घर से बिना बताये कहीं चला गया था। उस दिन प्रार्थी की बहन शगुफ्ता परवीन (तारिक बेग की माँ) प्रार्थी के पास उसके घर पर थी, उन्होंने अपने फोन से पहले तारिक को फोन किया। उसका फोन बन्द होने पर मसारिक को फोन किया, तो उसने बताया कि तारिक बिना बताये कहीं घर से चले गये हैं। प्रार्थी व उसकी बहन ने मसारिक से कहा कि उसे ढूंढो पता लगाओ और पुलिस को सूचना दो। लेकिन उसने कुछ नहीं किया और कहता रहा कि अपने आप आ जायेगें। इसके बाद दि०- 15. 02. 2026 को जब प्रार्थी व उसकी बहन ने मसारिक पर दबाव डाला और उसे साथ लेकर थाना प्रेमनगर गये, तो मासरिक ने तारिक के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद प्रार्थी, अपने भाई रज्जू, चुक्खन व बहन परवीन के साथ बिहारीपुरा आ कर मसारिक से जानकारी की , तो वह साफ- साफ कुछ भी नहीं बता रहा है और कह रहा है कि - "तारिक हमेशा मुझसे गाली- गलौज, मारपीट व मेरी पत्नी से छेड़खानी करता था, उसका मर जाना ही ठीक है, जाने दो जहाँ उसे जाना था, लौट कर न आये तो अच्छा है।" मसारिक की बातों से पूरा विश्वास हो गया है कि मसारिक ने अपने बड़े भाई तारिक बेग की हत्या करके उसकी लाश को कहीं छिपा दिया है। घटना दिनांक- 10. 02. 2026 के बाद पुनः आज हम लोग मसारिक की तलाश की, तो वह नहीं मिला और पता चला कि मसारिक आज घर से कहीं चला गया है। पड़ोस में ही मसारिक की पत्नी मुस्कान व उसका साला तालिब रह रहे हैं, वह दोनों भी फरार हैं, उनके घर में भी ताला लगा है। प्रार्थी के भान्जे तारिक बेग की हत्या मसारिक बेग (छोटे भाई) ने कर दी है और लाश को कहीं छिपा दिया है, उसके साले तालिब व पत्नी की भूमिका पर शक है। रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।"* उक्त तहरीर के आधार पर प्रश्नगत मामला आवेदिका/ अभियुक्ता सहित दो अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध थाना- प्रेमनगर में धारा- 103(1) ,238 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ एवं विवेचना उपरान्त आरोप पत्र आवेदिका/ अभियुक्ता श्रीमती मुस्कान व दो सहअभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष प्रेषित हुआ, जिसमें आवेदिका/ अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र धारा- 103(1) ,61(2) (a) भारतीय न्याय संहिता न्यायालय के अन्तर्गत प्रेषित हुआ है।

4- आवेदिका/ अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि अभियुक्ता निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे मात्र शक के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। सहअभियुक्त मसारिक बेग ने अभियुक्ता से अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसमें मृतक तारिक ने अपने भाई का साथ दिया था, जिस कारण मामू (वादी मुकदमा) व माँ, अभियुक्ता से रंजिश रखते है और इसी कारण मामले में झूठा फंसा

Digitally signed by Kamlesh Kuchhal
Date: 2026.06.15 13:11:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 9 दिन विलम्ब से दर्ज कराई गई है और विलम्ब का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं दर्शाया है। मामले का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। वादी मुकदमा व उसके भाईयों ने अपनी बहन की सम्पत्ति व रूपये हड़पने के आशय से प्रश्नगत मामला झूठा पंजीकृत कराया है, जिसमें मसारिक बेग को जेल भिजवा दिया और तारिक बेग की हत्या अपने मेली लोगों से करा कर साक्ष्य नष्ट करने की नीयत से शव को गायब कर दिया है। अभियुक्ता की माँ का स्वर्गवास हो चुका है, अभियुक्ता का लालन पालन उसकी नानी ने किया और उन्होंने ही उसकी शादी की है। अभियुक्ता को मामले में नामित इसलिए भी किया गया है, जिससे वह वादी मुकदमा व उसके भाईयों द्वारा बहन की सम्पत्ति पर कब्जा करने का विरोध न कर सके। अभियुक्ता स्थानीय निवासी है, उसके फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है। अभियुक्ता दिनांक- 06. 03. 2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधारों पर अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

5- राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया कि सम्पत्ति के लालच में अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तगण(पति व भाई) के साथ मिलकर साजिश व षडयन्त्र कर वादी मुकदमा के भान्जे/ अपने पति के बड़े भाई(जेठ) मृतक तारिक बेग की कुल्हाडी व छूरी से मार कर हत्या कारित की गई है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत पर छोड़े जाने पर उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने व फरार होने की संभावना है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की गई।

6- आवेदिका/ अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7- अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना- प्रेमनगर, झाँसी में दि०- 19. 02. 2026 को आवेदिका/ अभियुक्ता मुस्कान सहित उसके पति- मसारिक व भाई- तालिब के विरूद्ध प्रश्नगत मामला धारा- 103(1),238 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है। मामले में आवेदिका/ अभियुक्ता पर अपने पति व भाई के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र कर अपने पति के बड़े भाई(जेठ)/ वादी मुकदमा के भांजे (मृतक) तारिक बेग की कुल्हाडी व छूरी से मार कर हत्या कारित करने का अभियोग है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने से पूर्व आवेदिका/ अभियुक्ता के पति/ सहअभियुक्त मसारिक बेग द्वारा स्वयं अपने मृतक भाई की गुमशुदगी की सूचना थाने पर दी गई है।

8- पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी शव तारिक बेग प्रपत्र सं०- 9ए/ 1 के अनुसार थाना पुलिस ने दिनाँक- 19. 02. 2026 को आवेदिका/ अभियुक्ता के पति/ मुख्य अभियुक्त मसारिक बेग की गिरफ्तारी कर समक्ष गवाहान स्वयं उसकी निशानदेही पर उसके घर के पीछे आंगन में स्थित गड्ढे के अन्दर से मृतक के शव को निकलवा कर बरामद किया है।

9- पंचायतनामा में पंचो की राय में मृतक की मृत्यु, सिर में चोट लगने व गला कटने से होना बताया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, जो दिनांक- 20. 02. 2026 को समय 3. 05 pm. पर किया गया है, के अनुसार मृतक तारिक बेग के शरीर पर 4 चोटें आना अंकित है- जिसमें **चोट सं०- 1-** गर्दन में सामने की ओर 17cm. x2cm. का फटा हुआ घाव, **चोट सं०- 2** माथे पर दाहिनी ओर हड्डी में फ्रैक्चरयुक्त 5cm. x 2cm. का फटा हुआ घाव, **चोट सं०- 3** दाहिने टेम्पोरल क्षेत्र फ्रैक्चरयुक्त 6cm. x2cm. का फटा हुआ घाव तथा **चोट सं०- 4** बांये पैराईटल क्षेत्र में फ्रैक्चरयुक्त 3 cm. x2cm. का फटा हुआ घाव पाया जाना तथा मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व सिर व गर्दन की चोटों से उत्पन्न shock and hemorrhage से होना अंकित है, जो पोस्टमार्टम की तिथि से 10- 12 दिन पूर्व हुई है।

10- पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी आलाकत्ल आदि प्रपत्र सं०- 9ए/ 2 के अनुसार दिनांक- 20. 02. 2026 को आवेदिका/ अभियुक्ता के पति/ मुख्य अभियुक्त मसारिक बेग की निशानदेही पर रेलवे कालोनी के पास स्थित बाल भारती स्कूल के पीछे सड़क के किनारे से उसके द्वारा घटना के समय स्वंय के व मृतक के पहने हुए कपड़े, जिन्हें जला दिये थे, से संबंधित राख व मिट्टी को पुलिस ने कब्जे में लिया है तथा उसकी निशानदेही पर रेलवे कालोनी में रानी लक्ष्मीबाई स्वास्थ्य केन्द्र के पास नाले के कीचडयुक्त पानी से आलाकत्ल कुल्हाडी मय बेंट, छूरी व गड्ढा खोदने में प्रयुक्त फावडा- गैंती तथा पास की झाडियों से फावडा- गैंती के बेंट भी बरामद किये गये हैं।

11- वादी मुकदमा मु०सलीम, जो मृतक के मामा है तथा गवाह श्रीमती शागुफ्ता परवीन, जो मृतक की माँ है, ने अपने बयान अन्तर्गत धारा- 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए सम्पत्ति के लालच में आवेदिका/ अभियुक्ता द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण (पति व भाई) के साथ मिलकर साजिश व षडयन्त्र कर प्रश्नगत घटना कारित करने का स्पष्ट कथन किया है।

12- आवेदिका/ अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है एवं विवेचना उपरान्त आरोप पत्र आवेदिका/ अभियुक्ता सहित दो सहअभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित किया जा चुका है। मृतक, आवेदिका/ अभियुक्ता का जेठ अर्थात उसके पति का सगा भाई है, ऐसी स्थिति में अभियुक्ता को झूठा फंसाये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। केस डायरी पर आवेदिका/ अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक की हत्या कारित करने के साजिश/ षडयन्त्र में शामिल होने का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। आवेदिका/ अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा इस स्तर पर उसको जमानत प्रदान करने का पर्याप्त आधार नहीं है। मामले में आवेदिका/ अभियुक्ता के पति/ सहअभियुक्त मसारिक बेग का जमानत आवेदन पूर्व में दि०- 26. 05. 2026 को निरस्त किया जा चुका है।

13- अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुए आवेदिका/ अभियुक्ता को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार आवेदिका/ अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/ अभियुक्ता **श्रीमती मुस्कान** पत्नी मसारिक बेग उपरोक्त की ओर से मु०अ०सं०- 71/ 2026 अन्तर्गत धारा- 103(1) ,61(2) (a) भारतीय न्याय संहिता, थाना- प्रेमनगर,जिला- झाँसी के प्रकरण में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 1026/ 2026 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति आवेदिका/ अभियुक्ता को निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनाँक- 15. 06. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।